69424624
५५१

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)
फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

PH-5

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2018-2019/ 1719 दिनांक- 07.09.18

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महा[illegible] (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (संघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पौंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंधप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

Tranfered to pm-TS for n.a.
AAO/pm-AP

TR 152 10.10.18

525546 19/9

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2018-19 दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हक़.) कार्यालय

विषय- वेतन समिति उत्तराखंड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01/01/2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन अवशेष का भुगतान किये जाने विषयक|

संदर्भ- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-120/2017/XXVII/45(10)/2016 दिनांक-05/07/2018

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनदेश की प्रतियाँ संग्लन कर प्रेषित की जा रही है | आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियो को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं|

संलग्न-यथोपरि

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

(32)

संख्या / 2017 / XXVII/45(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3— मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल,
उत्तराखण्ड।
4— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
5— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून: दिनांक 05 जून, 2018

विषयः—वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष का भुगतान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 267/45/XXVII (10)/2016, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 शासनादेश संख्या—138/2017/45/XXVII (10)/2016, दिनांक 15 मई, 2017 का कृपया/संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 01–01–2016 से पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के दिनांक 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर,2016 तक की अवधि के पुनरीक्षित पेंशन का 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2— शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि की पुनरीक्षित पेंशन के 50 प्रतिशत अवशेष (Arrear) धनराशि का अंतिम किस्त के रूप में भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या /20/2017/XXVII/45(10)/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– निदेशक, पेंशन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,23 लक्ष्मीरोड, डालवाला देहरादून।
6– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
7– प्रभारी एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
8– अध्यक्ष, सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड देहरादून।
9– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Office of the Accountant General (A&E) Uttrakhand,
(Accountant General Building, Kaulagarh, Dehradun – 248195)
Phone No. 0135 – 2643684, Fax No. 0135 – 2643683

"Special seal authority"

Letter no. – P.A./Pension/2018-19/ **Dated:**

To,

All Principal / Accountant General (A&E)

Reference: - 1. Secretary of Uttrakhand government, Finance Section government Order no. 138 / 2017/14 / XXVII (10)/ 2016.

2. **Secretary of Uttrakhand government, finance section govt. order no. 173 / 18 / XXVII (10) / 2017 – dated: 17/08/2017**
3. **Secretary of Uttrakhand government, finance section govt. order no.79/02/ XXVII (10) / 2017 – dated: 14/03/2017**
4. **Secretary of Uttrakhand government, finance section govt. order no. 217 / 52 / XXVII (10) / 2016 – dated: 14/10/2016**

Regarding submission of copies (Office memorandum / revised letter).

Sir,

Copies of above mentioned orders issued by finance department Uttrakhand government are being forwarded to you. You are requested to circulate the above order to all treasury officers / Pension Payment officers under your jurisdiction and issue instructions to take action as per rules and a copy of proceedings may be forwarded to this office.

Enclosed: - as above

Yours Faithfully

Senior Accounts Officer / Pension

No.138 / 2017 / 45 / XXVII (10) / 2016

From,

Amit Singh Negi
Secretary
Govt. of Uttrakhand

To,

All Additional Chief Secretaries / Principal Secretary / Secretary,
Govt. of Uttrakhand.
All Heads of the Departments / Offices
Uttrakhand.

Finance Section – 10

Dehradun, dated May 15, 2017

Subject: - Acceptance of VII CPC recommendations by Pay Commission Uttrakhand (2016), Consequent on acceptance of VII CPC recommendations revision of pension of State Govt. Pensioners / Family Pensioners prior to 01.01.2016.

Sir,

Please see the reference of above cited government order no. 267 / 45 / XXVII (10) / 2016 dated December 30, 2016. A provision was made in point 10 of above govt. order that " Revised pension will be paid in cash from January 1, 2017 and separate orders will be issued regarding payment of due arrear of revised pension from January 1, 2016 to December 31, 2016.

In sequence of above cited subject, after consideration by the govt. , I have been directed to state that approval has been granted to pay 50 percent amount of arrears of revised pension from to December 31, 2016 as first installment to pensioners/family pensioners retired prior to 01.01.2016.

Your's faithfully
Sd/-
(Amit Singh Negi)
Secretary

No.138 / 2017 / 45 / XXVII (10) / 2016

Copy forwarded to the followings for information & necessary action-

1. Accountant General (A&E- I) Uttrakhand, Dehradun
2. Accountant General (A&E) I/II Uttar Pradesh, Allahabad
3. All Principal Secretaries/Secretary, Govt. of Uttrakhand
4. Director of Pension, Uttar Pradesh, Lucknow
5. Director of Treasury, Uttar Pradesh, Lucknow
6. Director of Treasury, Pension & Entitlements, 23, Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun
7. All Chief
8. In charge of NIC, Secretariat campus Dehradun.
9. Guard file.

By Orders
Sd/-
(Arunendra Singh Chauhan)
(Additional Secretary)

No. / 18 / XXVII (10) / 2017

From,

Radha Ratudi,
Principal Secretary,
Govt. of Uttrakhand.

To,

All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries,
Govt. of Uttrakhand.

Finance Section – 10 Dehradun, Dated August 17, 2017

Subject: - In continuation of decision taken by Central Govt. on the recommendations of 7th CPC, acceptance of recommandations of pension committee Uttrakhand, thereby revised pay and pension permissions from 01.01.2016 of teachers (Instead of posts covered with the pay scale of UGC, AICT, ICAR) of non-aided institutions / technical institutions of state govt. and non – teaching employees of non – aided teaching and technical teaching institutions.

Sir,

With reference to the above cited subject, it is to inform that as per recommendantion of 6th Pay Commission, revised salary / pension had been granted to teaching and non - teaching staff of non-government aided educational / technical educational institutions of state government from 01.01.2006 vide government order no. 25 / XXVII (7) S.copy / 2009 dated 13.02.2009.

2. In the sequence of above, I have been directed to say that the recommendations of 7th Pay commission will be applicable to all employees retired on 01.01.2016 or after wards. The recommendations will be applicable for revision of pension/gratuity/family pension and commutation process. Those gazetted officers retired before 01.01.2016, in this case revision of pension's benefits will be calculated after following all exclusive rules given in G.O No. 266/45/XXVII(10) 2016 & 267/45/XXVII(10)2016 dated 30.12.2016, these rules will be applicable to all non-aided educational institute employees/technical educational institute employees (except those who are covered by pay scales of UGC, AICT, ICAR, thos will not be applicable to them)
3. Dearness allowance will be admissible to teaching / non teaching pensioners of above aided non government educational institutions as payable to officials / pensioners of state government.
4. Pension / Family Pension under these orders will be revised by concerned treasuries. Application may not be expected from the concerned pensioners for the revision of pension / family pension. Orders issued by finance department for state pensioners regarding payment of due arrears of revised pension will remain unchanged.

Enclosure – As above

Yours Faithfully
Sd/-
(Radha Ratudi)
Principal Secretary

No. 173/18 / XXVII (10) / 2017

Copy forwarded to the followings for information & necessary action -

1. Accountant General (A&E- I) Uttrakhand, Dehradun.
2. All Principal Secretaries/Secretary, Govt. of Uttrakhand.
3. Commissioner, Garwaal / Kumau division and all District offices, Uttrakhand.
4. Director of Pension, Uttar Pradesh, Lucknow.
5. Director of Treasury, Uttar Pradesh, Lucknow.
6. All Chief / Sr. / Treasury Officers / Sub – treasury Officers, Uttrakhand.
7. In charge of NIC, Secretariat campus Dehradun.
8. Guard file.

By Orders
sd/-
(Arunendra Singh Chauhan)
(Additional Secretary)

No. / 02/ XXVII (10) / 2017

From,

Amit Singh Negi
Secretary
Govt. of Uttrakhand

To,

Director,
Treasury, Pension and Entitlement,
Uttrakhand, Dehradun.

Finance Section – 10

Dehradun, Dated March 14, 2017

Subject: - Providing benefit of prerevised / revised pension to the pensioners prior to November 9, 2000 as per recommendations of 7th pay commission – reg.

Sir,

With reference to the above cited subject and in sequence of the question raised by treasuries / pension organizations / personal representations whether the decision of pension revision taken on recommendations of 7th pay commission by Uttrakhand Govt., would be applicable to the pensioners prior to November 9, 2000 or not, I have been directed to state that the pension of those pensioners prior to November 9, 2000 whose pension have been revised already by govt. of Uttrakhand as per recommendations of 6th central pay commission, should be revised in sequence of govt. order no. 267 / 45 / XXVII (10) / 2016 dated December 30, 2016 issued by government of Uttrakhand.

Your's faithfully
Sd/-
(Amit Singh Negi)
Secretary, Finance

No. 79 / 02/ XXVII (10) / 2017

Copy forwarded to the followings for information & necessary action-

1. Accountant General (A&E- I) Uttrakhand, Dehradun
2. All Chief / Sr. / Treasury Officers / Sub – treasury Officers, Uttrakhand.
3. In charge of NIC, Secretariat campus Dehradun.
4. Guard file.

By orders
sd/-
(L. N. Pant)
(Additional Secretary)

Govt. of Uttrakhand
Finance Section – 10
No. 215 / 52 / XXVII (10) / 2016
Dehradun – dated: October 14, 2016

Office Memorandum / Revised Letter

In sequence of memorandum no. 38 / 37 / 08 – P. &. P. W (A) dated 06.04.2016, of Govt. of india, the undersigned has been directed to state that the clarification issued in para -2 of office memorandum / revised letter no. 835 / XXVII (7) / 2011dated 28.02.2011 may be considered revised as follows regarding pension / family pension of state government civil pensioners / family pensioners retired prior to 01.01.2006 consequent approval of recommendations of pay committee Uttrakhand 2008.

Pensioners retired before 01.01.2006 having less than 33 years service but who had put up minimum qualifying service of 10 years, without reducing their pension proportionally, their pension will be fixed as per revision pension table. In this case revision will not be less than 50% of corresponding minimum pay in pay scale band plus grade pay

2. Rates mentioned in enclosed table will be effective from 01.01.2006 and no recovery will be made from pensioners / family pensioners after fixation of minimum pension amount. Pension will be revised from that treasury through which the pensioner is receiving his pension under this order.
3. Above reference office memorandum no. 421 / XXVII (7) Pension / 2008 dated 27.10.2008 and 835 / XXVII (7) / 2011dated 28.02.2011will be considered revised upto this limit and its other conditions will remain unchanged.

Enclosure – Revised table

Yours faithfully
sd/-
(Amit Negi)
Secretary

694221591

522372

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं ह.)
Office of the Prl. Accountant General (A&E)
INWARD
13 AUG 2018
No.
तेलंगाना, हैदराबाद
Telangana, Hyderabad-500 004.

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

पत्रांक-पी०सी०/पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2018-2019/ 1304

दिनांक- 03.08.2018

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गोहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (संघ क्षेत्र)	पॉंडीचेरी	पॉंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

for translation please

TR-620

Tr.No. 620 24/8

PM-OG-TS

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2018-19 दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान/महालेखाकार (लेखा एवं हक़.)

संदर्भ-(1)सचिव उत्तराखण्ड, वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-138/2017/14/XXVII(10)/2016 दिनांक:15/05/2017

(2)सचिव उत्तराखंड, वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-173/18 /XXVII(10)/2017 दिनांक:17/08/2017

(3)सचिव उत्तराखंड, वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-79/02/XXVII(10)/2017 दिनांक:14/03/2017

(4)सचिव उत्तराखंड, वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-217/52/XXVII (10)/2016 दिनांक:14/10/2016 (कार्यालय ज्ञाप/शुद्धिपत्र) की प्रतियां प्रेषित करने के सम्बन्ध में |

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त आदेशो की प्रतियाँ संग्लन कर प्रेषित की जा रही है | आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियो को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें |

संलग्न-यथोपरि

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

(32)

संख्या 138 /2017/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 15 मई, 2017

विषय– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–10 में प्राविधान किया गया था कि "पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01–01–2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष देयता (Arrears) की 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष भुगतान के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 138 /2017/45/XXVII(10)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

32

संख्याः– / /18/xxvii(10)2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 17 अगस्त जुलाई, 2017

विषयः–सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0, आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान एवं पेंशन अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्याः 25/xxvii(7)वि0प्रति0/2009 दिनांक 13.02.2009 द्वारा राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन अनुमन्य किया गया था।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन विषयक एवं दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राजकीय पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या क्रमशः 266/45/xxvii(10)2016 व 267/45/xxvii(10)2016 दिनांक 30.12.2016 के समस्त मूल सिद्धान्त राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं पेंशनरों (यू0जी0सी0,

(32)

ए0आई0सी0टी0, आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) पर लागू किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण/शिक्षणेत्तर पेंशनरों को महंगाई भत्ता राज्य सरकार के कार्मिकों/पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते के अनुसार अनुमन्य होगा।

3. इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सम्बन्धित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु सम्बन्धित पेंशनर से आवेदन किये जाने की अपेक्षा न की जाये। पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा राजकीय पेंशनरों हेतु जारी आदेश यथावत लागू किये जायेंगे।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः— 173/18/xxvii(10)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3— आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4— निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5— निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6— समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7— प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

(32)

संख्याः– /02/XXVII(10)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–10

देहरादून : दिनांक : 14 मार्च, 2017

विषयः– 09 नवम्बर, 2000 से पूर्व के पेंशनरों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन का लाभ दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कोषागारों/पेंशनर संगठनों/व्यक्तिगत प्रत्यावेदनों द्वारा यह जिज्ञासा की गई है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये पेंशन पुनरीक्षण के निर्णय 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व के पेंशनरों पर लागू होंगे अथवा नहीं, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व के ऐसे सभी पेंशनर जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पूर्व में किया गया है, की पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 से उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः–267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 के क्रम में किया जाये।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्याः–79 /02/XXVII(10)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–10
संख्याः–215 /52/XXVII(10)/2016
देहरादूनःदिनांक 14, अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–38/37/08–पी0 एंड पी0 डब्ल्यू(ए) दिनांक 06.04.2016 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड–2008, की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण विषयक कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्याः–835/XXVII(7)/2011 दिनांक 28.02.2011 के प्रस्तर–2 में निर्गत स्पष्टीकरण को निम्नवत संशोधित समझा जायेः–

"दिनांक 01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुये पेंशनभोगियों की सेवा 33 वर्ष से कम परन्तु 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा होने की स्थिति में भी, पेंशन को यथानुपात घटाये बिना, पेंशन का निर्धारण संशोधित संलग्न तालिका के अनुसार किया जायेगा, जो संशोधन पूर्व वेतनमान के सादृश्य (Corresponding) वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड–पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।"

2. संलग्न तालिका में दी गई दरें दिनांक 01.01.2006 से लागू होंगी व न्यूनतम पेंशन की राशि का निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से कोई वसूली नहीं की जायेगी। इस आदेश के अन्तर्गत पेंशन का संशोधन उस कोषागार द्वारा किया जायेगा, जहां से पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है।

3. उपर्युक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्याः–421/XXVII(7)पेंशन/2008 दिनांक 27.10.2008 व 835/XXVII(7)/2011 दिनांक 28.02.2011 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा इनकी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्नकः–संशोधित तालिका।

भवदीय,

(अजित नेगी)
सचिव